बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
(अभियंत्रण कोषांग)

पत्रांक......................(अभि०को०) दिनांक....../......../2025.

आदेश

सारण परिक्षेत्र अन्तर्गत Construction of 10 Nos of Panchayat Level Fish Market at Mauja-Ratanpura Chhapra Nagar Nigam, Gudri Bazar, Ward-9, Block-Sadar Chhapra in Saran District, at Mauja-Husepur-362, Block-Bhore, at Mauja-Hardiya-241, Block-Bhore,at Mauja-Semraw-980, Block-Hathua, at Mauja-Ekdaga-938, Block-Hatua, at Mauja-Barai Patti-1063, Block-Hathua, at Mauja-Ekderwa-114, Block-Thawe, at Mauja-Bhagwat Parsa-890, Block-Phulwaria, at Mauja-Gaura-468, Block-Kataiya and at Mauja-Sohniya-192, Block-Kataiya in Gopalganj District (Tender ID-77046/76883) कार्य के लिए NIT सं०–AFRD/अभि० को०/F2/09/2024 द्वारा आमंत्रित निविदा में दिनांक–22.01.2025 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक में न्यूनतम निविदाकार Shree Madhu Sudan Singh, Ward No-06, Vijay Ray Ka Tola, Samaria, Rivilganj, Saran-841305 के पक्ष में उनके निविदित दर (BOQ से 15.40% कम) पर कार्य आवंटन के निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता कार्यालय पत्रांक–43, दिनांक–24.01.2025 द्वारा उनके पक्ष में परिमाण विपत्र की राशि से 15.40% कम और कुल राशि 1,49,79,020.00 (एक करोड़ उनचास लाख उनियासी हजार बीस रुपये एवं शून्य पैसा) मात्र के लिए कतिपय शर्त्तों के साथ निविदा का स्वीकृत्यादेश प्रदान किया गया था। स्वीकृत्यादेश की कंडिका 6 पर निविदा के साथ निविदाकार द्वारा uploaded कागजात का मूल अभिलेखों के साथ मिलान एवं जाँचोपरान्त एकरारनामा करने हेतु निदेशित किया गया था।

तदोपरान्त अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पत्रांक–44, दिनांक–24.01.2025 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश की शर्त्तों का अनुपालन करते हुए एकरारनामा करने का निदेश दिया गया। इसके अनुपालन में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–47, दिनांक–24.01.2025 द्वारा Shree Madhu Sudan Singh को निविदा शर्त्तों के आलोक में निर्गत LOA में आवश्यक Security Deposite एवं Additional Performance Guarantee जमा करते हुए पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर सभी मूल अभिलेखों शपथ–पत्र एवं प्रमाण पत्रों के साथ एकरारनामा हेतु प्रस्तुत होने का निदेश दिया गया। इस पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि अभिलेखीय सत्यापन के उपरान्त ही निर्धारित अवधि में एकरारनामा किया जाएगा।

निर्धारित अवधि के अंदर अभिलेखीय सत्यापन एवं एकरारनामा हेतु प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता का पत्रांक–69, दिनांक–04.02.2025 से संवेदक को स्मारित करते हुए तीन दिनों के अंदर सभी मूल एवं Security Deposit के साथ एकरारनामा करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु संवेदक द्वारा निविदा में uploaded कागजात एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पत्रांक–81, दिनांक–17.02.2025 द्वारा संवेदक को पुनः स्मारित करते हुए दो दिनों के अन्दर मूल अनुभव प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया और NIT शर्त्तों के प्रतिकूल अनावश्यक विलम्ब किये जाने के लिए Shree Madhu Sudan Singh को दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। संवेदक द्वारा अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक–19.02.2025 द्वारा मनमाने ढंग से एक सप्ताह के अंदर सभी कागजात के साथ एकरारनामा करने के लिए उपस्थित होने का एक अनुरोध पत्र क्षमा–याचना के साथ समर्पित किया गया, परन्तु अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति समर्पित नहीं किया गया।

संवेदक द्वारा मूल अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में अकारण विलंब के मद्देनजर जाली अथवा गलत प्रमाण–पत्र होने की संभावना को देखते हुए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को कार्यालय पत्रांक–88, दिनांक–24.02.2025 द्वारा कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु रजिस्ट्रर्ड डाक एवं कार्यपालक अभियंता के संबंधित E-mail Id- eelaeomahnar@gmail.com पर मेल से भेजा गया।

दिनांक–04.03.2025 को इस कार्यालय द्वारा भेजे गए E-mail Id से भिन्न एक अज्ञात E-mail Id- eelaeomahnar01@gmail.com से पत्रांक–718, दिनांक–04.03.2025 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र, महनार का सत्यापन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। परन्तु ई–मेल प्रेषण से भिन्न E-mail Id से प्राप्त तथाकथित सत्यापन संबंधित ई–मेल अनुभव प्रमाण–पत्र के त्रुटिपूर्ण/जाली होने की संभावना को मजबूती प्रदान किया। तद्आलोक में श्री राजेश कुमार आर्या, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल–02, महनार, वैशाली के दूरभाष (मोबाईल नं०–8294170080) पर संपर्क किया गया जिस क्रम में उनके द्वारा किसी भी तरह का सत्यापन प्रतिवेदन मेल से भेजने को अस्वीकार किया गया और दिनांक–07.03.2025 को कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल–02, महनार, वैशाली के दूरभाष (मोबाईल नं०–8294170080) के मोबाईल से whatsapp के माध्यम से संवेदक द्वारा निविदा के साथ अपलोडेड अनुभव प्रमाण–पत्रों को उनके कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किये जाने की सम्पुष्टि अपने पत्रांक–777, दिनांक–07.03.2025 द्वारा किया गया अर्थात् Shree Madhu Sudan Singh, रिवलिगंज, छपरा द्वारा uploaded अनुभव प्रमाण–पत्र की असत्यता स्थापित होती है।

उपरोक्त विस्तृत रूप से वर्णित तथ्यात्मक बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित आदेश तत्कालिक प्रभाव से निर्गत किया जाता है :–

(i) संवेदक Shree Madhu Sudan Singh द्वारा गलत एवं असत्य अनुभव प्रमाण–पत्र प्रयुक्त कर समर्पित किये गये निविदा को अमान्य किया जाता है और Shree Madhu Sudan Singh को प्रदत्त इस कार्यावंटन आदेश एवं निविदा स्वीकृत्यादेश को तत्काल प्रभाव से रद्द एवं निरस्त किया जाता है।

(ii) Shree Madhu Sudan Singh, Ward No-06, Vijay Ray Ka Tola, Samaria, Rivilganj, Saran-841305 को निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित कंडिका–19(घ) के आलोक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में किसी भी प्रकार की आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित (debar) किया जाता है।

(iii) Shree Madhu Sudan Singh निविदाकार के कागजात नकली/जाली पाये जाने के फलस्वरूप बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11(क)(vii) के अनुसार निविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत कागजात संलग्न करने के लिए उनके निबंधन के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई यथा निलंबन/काली सूची में डालना इत्यादि हेतु निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्रशासी विभाग यथा ग्रामीण कार्य विभाग के सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा किया जाता है।

(iv) Shree Madhu Sudan Singh के विरूद्ध आवश्यकतानुसार नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु कार्यपालक अभियन्ता, अभियंत्रण कोषांग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................(अभि०को०). पटना–15, दिनांक–........./......../2025.
प्रतिलिपिः– Shree Madhu Sudan Singh, Ward No-06, Vijay Ray Ka Tola, Samaria, Rivilganj, Saran-841305 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक........................(अभि०को०). पटना–15, दिनांक–........./......../2025.
प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक........................(अभि०को०). पटना–15, दिनांक–........./......../2025.
प्रतिलिपिः– अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

(6)

ज्ञापांक........................(अभि०को०). पटना–15, दिनांक–........./......../2025.

प्रतिलिपिः– निदेशक (मत्स्य)/पशुपालन/गव्य पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक........................(अभि०को०). पटना–15, दिनांक–........./......../2025.

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक....104....(अभि०को०). पटना–15, दिनांक–..19../..03../2025.

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/03/2025

मुख्य अभियन्ता